



ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

छावनी परिषद कार्यालय  
कनॉट रोड,  
देवलाली छावनी - 422401  
नाशिक, महाराष्ट्र  
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

वसुग्र फुटुरम्

फोन : 0253 - 2491206, फैक्स : 2492599, ई-मेल : [ccodeol-stats@nic.in](mailto:ccodeol-stats@nic.in)



Office of the Cantonment Board  
Cannaught Road,  
Deolali Cantonment - 422401  
Nashik, Maharashtra  
Govt. of India, Ministry of Defence



“जुर काम देशा के नाम”

संख्या: 3943/BLD/E-8/ २६०५

दिनांक: ११ / ०९ / २०२४

सेवा में,

श्रीमती आरती सतिश गायकवाड और अन्य 01,  
तर्फे, सोनार इंजिनियर्स,  
नाशिक रोड, नाशिक।

**विषय: आवासीय भवन हेतु भवन आवेदन पत्र एवं नक्शे की स्वीकृति हेतु।**

प्रिय महोदया,

संदर्भ: भगुर देवलाली छावनी के रेवेन्यु सर्वे संख्या 39/3ब/2 प्लाट संख्या 22 पर भवन नक्शा हेतु आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 10.08.2024।

02. भगुर आवेदन क्रमांक BPA-APP-DEOL-2024-07-29-004501 दिनांक 10.08.2024 में उल्लिखित भगुर देवलाली छावनी के रेवेन्यु सर्वे संख्या 39/3ब/2 प्लाट संख्या 22 को ऑनलाइन स्वीकृति संख्या BPA-PN-DEOL-2024-09-01-002737 दिनांक 01.09.2024 (अनुलग्नक -3) और छावनी परिषद संकल्प संख्या 05 दिनांक 29.08.2024 आवासीय भवन योजना को अनुमोदन दिया गया है। इसके अलावा आपको उक्त संबंध में नीचे दिए गए शर्तों का भी पालन करना अनिवार्य है और यह स्वीकृति का एक भाग है:-

01. इस कार्यालय को लिखित रूप में निर्माण शुरू होने की तारीख की सूचना दी जानी चाहिए, ऐसा न करने की स्थिति में पत्र जारी होने की तारीख को ही निर्माण शुरू होने की तारीख के रूप में माना जाएगा।

02. यह ध्यान दिया जाए कि परिषद के द्वारा किसी भी मामले में दो बार से अधिक विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी, एक बार की अनुमति एक साल की रहेगी।

03. यदि आप इस कार्यालय को सूचित किए विना या प्लिंथ पूर्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किए विना प्लिंथ स्तर से ऊपर निर्माण करते हैं तो आपके द्वारा किए गए निर्माण कार्य को अनाधिकृत माना जाएगा। प्लिंथ स्तर के निर्माण में और स्वीकृत भवन नक्शे में किसी भी प्रकार का विचलन / अतिक्रमण होने पर, स्वीकृति के रद्द होने का जोखिम उठाना होगा, इसे ध्यान में ले।

04. भवन नक्शे के स्वीकृति के कारण आवेदकों और अन्य पक्षों के बीच / साथ किसी भी प्रकार की क्षानूनी विवाद उत्पन्न होने पर छावनी परिषद / मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पक्षदार नहीं बनाया जाएगा।

05. आपको विषय परिसर में 03 पेड़ लगाना होगा, जिसकी देखभाल आपके द्वारा की जायेगी एवं वह स्वीकृति का एक भाग होगा और उपरोक्त वर्णित अनुसार विभिन्न स्तरों में उसकी जाँच भी की जाएगी और जमा कि गई राशि की वापसी का दावा 08 वर्ष की अवधि के पूर्णता के बाद 01 वर्ष तक ही वैध होगा। आवेदक उपक्रम में सफल अनुपालन के अधीन यांनी लगाए गए पौधों को अच्छी तरह से बनाए रखना और यदि इस कार्यालय द्वारा जाँच के दौरान परिसर के अंतर्गत कथित संख्या में बढ़े हुए पेड़ पाएं गए तो 05 वर्ष की अवधि के पूर्णता के बाद ही 03 वर्ष अवधि के दरम्यान पेड़ हेतु जमा की गई राशि वापस की जाएगी। यदि उक्त निर्धारित अवधि के भीतर वृक्ष जमा की वापसी के लिए राशि का आवेदन नहीं किया गया, तो जमा राशि को जब्त कर लिया जाएगा और छावनी बोर्ड देवलाली खाते में जमा किया जाएगा। कृपया इसे ध्यान में रखें।

06. भवन निर्माण पूर्ण होने के 30 दिनों के अन्दर आपको इसकी जानकारी इस कार्यालय को देनी होगी, ऐसा न करने की स्थिति में भवन पर कर स्वीकृत अवधि समाप्त होने के बाद से लगायी जाएगी, कृपया इसे ध्यान में ले।

07. छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 82 के तहत सूचना के अनुसार, उपरोक्त पैरा (2) में उल्लिखित छावनी परिषद संकल्प के माध्यम से छावनी परिषद द्वारा आपको दिए गए स्वीकृति एवं इस पत्र के द्वारा आपको दिए गए भवन नक्शे के अनुसरण में, आपको उक्त भवन के निर्माण / पुनःनिर्माण पूर्ण होने की तारीख एवं उक्त भवन पर कब्ज़ा किए जाने की तारीख की सूचना इस कार्यालय को देना आवश्यक है।

08. छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 82(1) के तहत भवन के पूर्ण होने या भवन पर कब्ज़ा करने की तारीख, जो भी पहले हो, से 30 दिनों के अन्दर आपको मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सूचना देना अनिवार्य है, विफल होने पर छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 82(2) के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

09. आपको संशोधित विकास शुल्क का भुगतान करना होगा, यदि लगाया जाता है।

10. भवन निर्माण पूर्ण होने के पश्चात, आवेदक को छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 246 के तहत मुख्य कार्यकारी अधिकारी से पूर्ति प्रमाणपत्र करना होगा। पूर्ति प्रमाणपत्र जारी करने से पहले, जलसंबंधन और विद्युतीय संबंधन हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं दिया जाएगा, कृपया इसे ध्यान में ले।

11. भवन निर्माण पश्चात आपको उचित पूर्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। पूर्ति प्रमाणपत्र जारी होने के पश्चात ही भवन पर कब्ज़ा किया जाएगा। छावनी अधिनियम, 2006 के तहत वर्तमान उपविधियां / निर्णय अनुसार उचित नियम / प्रक्रियाओं का पालन न करने पर आवेदक को जैसा लागू हो, जुर्माना देना होगा।

12. श्रमिकों के साथ ही साथ आसपास की अन्य संपत्तियों के लिए आवश्यक सुरक्षा सावधानियों का ध्यान रखते हुए निर्माण कार्य किया जाना चाहिए ।

13. निर्माण स्थल पर सुरक्षा के लिए उचित साइन बोर्ड लगाए जाएंगे ।

14. यदि निर्माण के दौरान कोई दुर्घटना होती है, तो यह मालिक की जिम्मेदारी होगी और छावनी बोर्ड किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा ।

15. आवेदकों/कब्जाधारियों को बाद में छावनी बोर्ड देवलाली से पहुंच मार्ग (APPROACH ROAD), जलापूर्ति (WATER SUPPLY), जल निकासी (DRAINAGE) और अन्य, जैसी किसी भी नागरिक सुविधा का दावा करने का कोई अधिकार नहीं रहेगा, यदि लागू हो तो । कृपया इसे ध्यान में ले ।

16. आपको स्वीकृत निर्माण स्थल पर धातु का एक बोर्ड लगाना होगा जिसपर मालिक का नाम, सर्वे संख्या, प्लाट संख्या, शिवर, स्वीकृति की तारीख और स्वीकृति की वैध अवधि आदि स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए । धातु के बोर्ड पर ऐसा लिखा होना चाहिए की जो 50 फीट की दुरी से भी नम्र (खुली) ऊँचों द्वारा पढ़ा जा सके ।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अनुमोदित ।

भवदीय Yours faithfully,

( विवेक बंड )  
सहायक कार्यकारी अधिकारी  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
देवलाली छावनी परिषद के लिए

( VIVEK BAND )  
Assistant Executive Officer,  
For Chief Executive Officer  
Deolali Cantonment Board

संलग्न: विधिवत अनुमोदित एवं मुहर लगी हुई<sup>1</sup>  
स्वीकृत नक्शे (ब्लू प्रिंट) की प्रति

इसकी प्रति: जल पूर्ति विभाग।  
छावनी बोर्ड, देवलाली

: उचित कार्रवाई हेतु ।

**Notice to erect or re-erect a building Under  
Section 235 of the Cantonments Act, 2006**

From Mr. Sattish P. Galkwad and other one,  
Co. Sonar Engineers and Planners,  
S-36, Regimental Plaza, Bye-ee-point  
Nashik road, Nashik-422101

To THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER  
Cantonment Board, Deval

Sir,  
I hereby give notice under section 235 of the Cantonments Act, 2006 that I intend to erect or re-erect a building as shown in the annexed plan and specified below:

Dimensions	Enclosure or plot	Plot No.	Notes
Closed			
Plot area = 129.55 sq.m.			
Soft murum soil			
General specifications:			
- RCC framed structure with rcc footing, column, beam, lintel and slab,			
- Excavation upto hard strata,			
- Plinth filling with standard materials,			
- Burnt brick walls with thickness 0.23, 0.15 and 0.10 m as shown in floor plans,			
- External sand faced plaster and internal neeru finished or gypsum finished plaster,			
- Diamond spartech / vitrified tiles flooring, for rooms and glazed dado tiles for w.c./bath/toilet,			
- Waterproofing treatment on terrace,			
- Septic tank and soak pit as per std. specifications.			
North – Plot No. 21	East – Adj. S. No. 42		
South – Plot No. 23	West – 5.40 m w existing road		
Residential purpose only			
	How to go and cut area. What material to be used.	Plotted area	Area where the structure is to be erected in the said

Date 24 . 07.2024

*Original, Certified,  
Yours faithfully,  
Sattish P. Galkwad*

# Plan Section - Elevation of House, Buildings etc.

Scanned and converted to digital format

Scale 1:100

For Surveyor

The building plan conforms to the building bye-laws.

The building will be constructed subject to the Building bye-laws.

Date: 29. 07.2024

S. S. Gaikwad (Signature)

(Signature) (Signature)

Name Mr. Satish P. Gaikwad and other one,

Corporation Address:

C/o, Sonar Engineers and Planners,  
S-36, Regimental plaza, Byculla point,  
Tel No.: Nashik road, Nashik-422101

西漢書

卷之三

SITE PLAN OF GROUND

卷之三

卷之三

- मात्र विद्या की विद्या है। विद्या की विद्या है।

- It's the job of the big companies to figure it out. It's up to us to make sure they do it right. That's what we're doing.

- 卷之三

21. The sun must fall to about 25° above the horizon before the Coriolis Effect can  
22. cause the winds to blow from the east.

- १८५४-१८५५ वर्षात् यहां कला विद्या का अध्ययन शुरू हो गया।

- E. The following are*

- THE PRACTICAL POLYGRAPH AND THE POLYGRAPHIC INVESTIGATION

- ପ୍ରକାଶକ ପରିଷଦ୍ ମାଲିକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶନ ଏବଂ ପ୍ରତିକଳା ପରିଷଦ୍

- but the first of considerable importance, being one of the most important buildings in the city.

- 卷之三


## Schedule No.

Order of CEO - Date of Sanction

Date \_\_\_\_\_ 2024

Building Plan/Revised Building Plan Sanctioned  
vide Cantonment Board Resolution No. 05  
Dated : 29.08.2024

Constituted and Sanctioned under Section 238 of the  
Cantonment Act 2006 from municipal point of view  
only without prejudice to the right of ownership  
and subject to the terms and conditions under  
which the site is held by the applicant. The  
Sanctioned plan should be adhered to absolutely in  
every particular. Any deviation may entail  
demolition of the unauthorised erection. The work  
shall be commenced within two years <sup>from the date of sanction</sup> ~~from the date of issuance of order~~  
from the date of the commencement of the work <sup>Deputy Comm.</sup>  
The date of commencement of the work shall be  
communicated by the applicant in writing to the  
Chief Executive Officer. An application for  
extension of time to complete the construction,  
if required, should be made before the expiry of  
the Period of sanction issued by the Office

  
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

CANTONMENT BOARD-DEOLAI

in  
Date Sanctioned  
BDAI  
2605  
3943, AG, F-A

Referred with the following Remarks:

Chief Executive Officer  
Deolali